उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 18.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -18.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 18.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति अभियान फेज-5" के अन्तर्गत आज दिनांक- 18.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

"मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 18.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा बैंक चेकिंग अभियान

- आज दिनांक 18.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 18.02.2026
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खरेला पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 18.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल यादव द्वारा गठित टीम के उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा मय हमराह उ0नि0 अवनीश कुमार यादव द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त के विरुद्ध केस संख्या 181/21 धारा 325, 323, 504 भादवि में मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) चरखारी, महोबा द्वारा गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया गया था। वारंट के अनुपालन में अभियुक्त को ग्राम बल्याय, थाना खरेला जनपद महोबा से नियमानसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामस्वरुप पुत्र छविलाल निवासी ग्राम बल्याय, थाना खरेला, जनपद महोबा, उम्र करीब 60 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
- उ0नि0 अवनीश कुमार यादव

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 18.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

SPEL कार्यक्रम के तृतीय चरण अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को यूपी-112 कार्यालय एवं फायर स्टेशन महोबा का शैक्षिक भ्रमण

- आज दिनांक 18.02.2026 को Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को यूपी-112 कार्यालय एवं फायर स्टेशन महोबा का शैक्षिक भ्रमण कराया गया।
- भ्रमण के दौरान प्रभारी यूपी-112 श्री विषयदेव बुन्देला द्वारा विद्यार्थियों को यूपी-112 की कार्यप्रणाली, आपातकालीन कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम, त्वरित पुलिस सहायता की प्रक्रिया एवं कंट्रोल रूम संचालन संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों में की जाने वाली कार्यवाही से भी अवगत कराया गया।
- इसी क्रम में प्रभारी फायर स्टेशन महोबा श्री महेन्द्र कुमार द्वारा अग्निशमन विभाग की कार्यप्रणाली, आग लगने की घटनाओं में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य, उपलब्ध उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को अग्नि सुरक्षा के व्यावहारिक पहलुओं से भी परिचित कराया गया।
- कार्यक्रम के दौरान प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला उपस्थित रहीं तथा बच्चों का मार्गदर्शन करती रहीं।
- इस शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली से व्यवहारिक रूप से परिचित कराना, उनमें सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना तथा पुलिस-जन सहभागिता को सुदृढ़ करना रहा।

112 उत्तर प्रदेश आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 18.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह, के निर्देशन में जनपद महोबा में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्टों के अनुपालन एवं मुकदमों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.02.2026 को थाना महोबकंठ को सफलता प्राप्त हुई।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट मु0नं0 603806/2013, अ0सं0-334/2013, धारा 25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नन्दकिशोर पुत्र चिरंजीलाल धीमर, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम भुजपुरा, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा को ग्राम भुजपुरा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1. उ0नि0 रोहित कुमार, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. कां0 रोहित लोधी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

नन्दकिशोर पुत्र चिरंजीलाल धीमर, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम भुजपुरा, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा

महोबा पुलिस

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 35 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष पाक्सो कोर्ट महोबा द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 35 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना पनवाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 304/2024 धारा 65(1)/115(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त चरनदास पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम झिन्ना थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 35 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुष्पेन्द्र मिश्रा
विशेष लोक अभियोजक

अमन सिंह
विशेष लोक अभियोजक